अमरचन्द बनाम राजस्थान सरकार
मु0नं0 68/2020
प्रार्थना पत्र 111,128

दिनांक – 04.09.2020 पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। वकील प्रार्थी उपस्थित एवं अप्रार्थी वकील उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर फर्द सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवायी जाने हेतु निवेदन किया । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा एलआरएक्ट धारा 111 सहपठित धारा 128 (पत्थरगढ़ी) स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान की मौजूदगी में विवादित भूमि ख0 न0 141 रकबा 0.0100 है0, ख0 न0 142 रकबा 3.2200 है0, ख0 न0 76 रकबा 2.2300 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.55 वाके ग्राम रायला की मुताबिक फर्द सीमाज्ञान-रिपोर्ट दिनांक 25.05.2019 पटवारी हल्का के मुताबिक पत्थरगढ़ी किया जाना सूनिश्चित करें। फर्द सीमाज्ञान की प्रति संलग्न कर भिजवाई जावें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:53:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner